न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 03 / प्रा.पत्र / 2020 (GCMS No. 2020 / 00005)	19.02.2020	15.07.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

छोटू, सेव, प्रकाश पि0 फून्दया, सोसर बेवा फून्दया,
ग्यारसी, मोर पुत्रियां फून्दया, जाति हरिजन,
निवासी ग्राम गुढानाथावतान, तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी फून्दया आ. नारायण हरिजन को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 1782 मीन रकबा 10 बीघा वाकेग्राम गुढानाथावतान आवंटन आदेश दिनांक 11.08.1971 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के अनुसार अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 3 / 2020 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2020 / 00005 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। आवंटन की मूल पत्रावली जिला अभिलेखागार से तलब की गई। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

जिला कलेक्टर, बून्दी

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1782 मीन रकबा 10 बीघा आवंटी फून्दया आ. नारायण हरिजन को दिनांक 11.08.1971 को आवंटन हुई थी। आवंटी के वारिसान अप्रार्थीगण वर्तमान में उक्त आराजी के नवीन खसरा संख्या 2302/1782 रकबा 1.5380 हैक्टेयर वाकेग्राम गुढानाथावतान पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा किश्त जमा नहीं करवाई गई है, आवंटित भूमि को विक्रय कर दिया गया है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने बाबत पेरोकार सरकार द्वारा अनुरोध किया गया।

जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस [redacted] पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि मिसल संख्या 603 पर फून्दया आ. नारायण जाति हरिजन निवासी गुढानाथावतान को दिनांक 11.08.1971 को भूमि खसरा सं. 1782 मीन रकबा 10 बीघा वाकेग्राम गुढानाथावतान का आवंटन किया गया था। आवंटी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) यहां पेश किया है। पत्रावली पर उपलबध नकल जमाबंदी संवत 2072–2075 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 2302/1782 रकबा 1.5380 हैक्टेयर पर आवंटी के वारिसान अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4(4) पर "आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, आवंटी द्वारा आवंटन किश्त जमा नहीं की जा रही है, आवंटित भूमि का विक्रय कर दिया गया एवं आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है" अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार भूमि खसरा संख्या 2302/1782 पर आवंटी के वारिसान का कब्जा काश्त नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं गैर खातेदारी की भूमि का विक्रय कर दिये जाने से आवंटन की शर्तो का उल्लंघन होना प्रमाणित है।

जिला कलक्टर, बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटी फून्दया आ. नारायण जाति हरिजन निवासी गुढानाथावतान को मिसल संख्या 603 पर किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 1782 मीन रकबा 10 बीघा वाकेग्राम गुढानाथावतान (हाल खसरा सं. 2302/1782 रकबा 1.5380 हैक्टेयर वाकेग्राम गुढानाथावतान) दिनांक 11.08.1971 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 15.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी
जिला कलेक्टर; बून्दी